(276)

(400)

निग0 5574/2018/सतना/भू-रा0

सदस्य
न्यायालय श्रीमान् ~~अध्यक्ष~~ महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट

कोर्ट रीवा संभाग रीवा म0प्र0

पुनरीक्षण क0-........../17-18

बिट्टी देवी पत्नी बाबूलाल चौध[illegible]

खुर्द वृत्त जैतवारा तहसील बिरसिहपुर जिला सतना म0प्र0...निगराकार

बनाम

गणेश प्रसाद पिता चिब्बा कुम्हार निवासी ग्राम पगार खुर्द वृत्त जैतवारा तहसील बिरसिहपुर जिला सतना म0प्र0................रेस्पा0

निगरानी विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार प्रभारी वृत्त जैतवारा तहसील बिरसिहुपर जिला सतना के रा0प्र0क0- 44/अ12/16-17 मे पारित आदेश दिनांक 29/07/17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

अधि0 श्री [illegible] तिवारी द्वारा पेश। 11-9-18

मान्यवर,

निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी हैः-

1- यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा पगार खुर्द वृत्त जैतवारा तहसील बिरसिहपुर जिला सतना स्थित आराजी नं0-751, 826/2,830/2 की निगराकार भूमि स्वामिनी है निगराकार की आराजी नं0-826/2 रकवा 0.190हे0 से लगी गैरनिगराकार के भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि आराजी नं0-826/1ख रकवा 0.227हे है नक्शे मे किसी प्रकार की कोई बटा नंम्बर होने पर तरमीमी नही हुई गैरनिगराकार के द्वारा आराजी नं0-826/1 का सीमांकन कराकर सीमांकन आदेश दिनांक 29/07/17 रा0प्र0क0-44अ12/16-17

--2

(276)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 5574- सतना/18 जिला सतना

बिटरी देवी चौधरी विरूद्ध गणेश प्रसाद कुम्हार

1	2	3
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील जैतवारा (बिरसिंहपुर) के प्रकरण क्रमांक 44/अ-12/16-17 में पारित आदेश दिनांक 29-7-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16-4-19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	